प्रेषक,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 68 /खनन लिपिक

दिनांक सितम्बर, 12,2019

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 149/2019 ग्रामवासी ग्राम सेमरा तहसील स्वार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 149/2019 रेसीडेन्टस् ऑफ विलेज सेमरा, तहसील स्वार जिला रामपुर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 अनुस्मारक ई—मेल—2 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी स्वार से कराई गई। उप जिलाधिकारी स्वार द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 12.09.2019 में अवगत कराया गया है कि अभिलेखों एवं मौके का स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मैसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज जो कि ग्राम लाडपुर सेमरा की गाटा सं0 104 क्षेत्रफल 2.217हे0 पर स्थापित है। क्रेशर की भूमि गाटा सं0 104 से नदी की गाटा सं0 73 रक्वा 2.227हे0 ग्राम लाडपुर सेमरा का आबादी से सीमाकंन कराया गया जिसमें क्रेशर की भूमि गाटा सं0 104 से नदी की दूरी 210 मीटर तथा नदी के निकटतम बिन्दु की दूरी 234 मीटर एवं आबादी का निकटतम बिन्दु लगभग 450 मीटर है तथा अभिलेखों (भूचित्र) के अनुसार यह दूरी क्रमशः 210 एवं 460 मीटर पायी गयी है।

जांच में यह भी उल्लिखित किया गया है कि मैसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज लाडपुर सेमरा द्वारा विशिष्ट रूप से अवैध खनन किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। गाटा संख्या 73 रकवा 2.227 हे0 नदी के रूप में राजस्व अभिलेखों में बरसाती नाले के रूप में है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई खनिज उपलब्ध नहीं है और न ही इससे कोई खनन किया जा रहा है। ग्राम की सीमा भी किसी खनिज युक्त नदी से नहीं मिलती है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत गया है कि अवैध खनन किये जाने की शिकायतें कोसी नदी के क्षेत्र में प्राप्त होती रहती हैं। जिनके विरूद्ध विगत छः माह में 61 प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा 97 ट्रक 16 डम्पर 1 पोकलैण्ड 2 ट्रेक्टर व 4 टाटा 407 सीज किये गये हैं। अवैध खनन के संदर्भ में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

अतः उप जिलाधिकारी स्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।</u>

(आन्जनेय कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, रामपुर।

कार्यालय उप जिलाधिकारी स्वार जनपद रामपुर।

पत्रांक 3215 /आ0लि0 दिनांकः सितम्बर 12 ,2019

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 149/2019 ग्रामवासी ग्राम सेमरा तहसील स्वार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सबंध में।

जिलाधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओरिजिनल एप्लीकेशन संख्या 149/2019 रेसीडेन्टस् ऑफ विलेज सेमरा, तहसील स्वार जिला रामपुर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में मा0 अधिकरण द्वारा अनुस्मारक ई–मेल–2 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रकरण की जांच मेरे द्वारा तहसीलदार स्वार, राजस्व निरीक्षक मसवासी व क्षेत्रीय लेखपाल के साथ की गयी। जांच हेतु स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा अभिलेखों का परीक्षण किया गया। आदेश के अनुसार मा0 अधिकरण ने नदी एवं आबादी से क्रेशर की दूरी तथा अवैध खनन के विरूद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में तथ्यात्मक आख्या चाही गयी है। यथा निर्देश जांच की गयी जिसमें मैसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज जो कि ग्राम लाडपुर सेमरा की गाटा सं0 104 क्षेत्रफल 2.217हे0 पर स्थापित है। क्रेशर की भूमि गाटा सं0 104 से नदी की गाटा सं0 73 रक्वा 2.227हे0 ग्राम लाडपुर सेमरा की आबादी से सीमाकंन कराया गया तो पाया गया कि मौके पर प्रश्नगत क्रेशर की भूमि गाटा सं0 104 से नदी की दूरी 210 मीटर तथा नदी के निकटतम बिन्दु की दूरी 234 मीटर एवं आबादी का निकटतम बिन्दु लगभग 450 मीटर है तथा अभिलेखों (भूचित्र) के अनुसार यह दूरी क्रमशः 210 एवं 460 मीटर है।

मैसर्स गुरूनानक स्टोन इण्डस्ट्रीज लाडपुर सेमरा द्वारा विशिष्ट रूप से अवैध खनन किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। यह भी अवगत कराना है कि नदी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित गाटा सं0 73 रक्वा 2.227हे0 जोकि मौके पर बरसाती नाले के रूप में है एवं इसमें किसी भी प्रकार का कोई खनिज उपलब्ध नहीं है और न ही इससे कोई खनन किया जा रहा है। ग्राम की सीमा भी किसी खनिज युक्त नदी से नहीं मिलती है।

यह भी अवगत कराना है कि अवैध खनन किये जाने की शिकायतें कोसी नदी के क्षेत्र में प्राप्त होती रहती हैं। जिनके विरूद्ध विगत छः माह में 61 प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा 97 ट्रक 16 डम्पर 1 पोकलैण्ड 2 ट्रेक्टर व 4 टाटा 407 सीज किये गये हैं। अवैध खनन के संदर्भ में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

आख्या सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

12/9/19

उप जिलाधिकारी,
स्वार, रामपुर।

12/9
तहसीलदार,
स्वार, रामपुर।

12.9.19